उत्तराखण्ड शासन
पर्यटन अनुभाग–1
संख्या– VI/2023
देहरादून 05 दिसम्बर ~~नवम्बर~~, 2023

अधिसूचना

नई उत्तराखण्ड पर्यटन नीति 2023–30 की ऑपरेशनल गाईडलाइन्स–2023 (Operational Guidelines) अधिसूचना संख्या–157508, दिनांक 27 सितम्बर, 2023 को निर्गत की गयी। नई उत्तराखण्ड पर्यटन नीति 2023–30 में किये गये संशोधन के दृष्टिगत, उक्त ऑपरेशनल गाईडलाइन्स–2023 के प्रस्तर–2 में तद्नुसार **Institutional Mechanism** के अन्तर्गत **District Level Committee for Tourism (DLCT)** कमेटी के गठन से सम्बन्धित प्राविधान को निम्नानुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

> **District Level Committee for Tourism (DLCT)** shall be constituted at each district for physical verification and monitoring. This committee shall issue the verification report (on project progress, completion, COD, etc.) for the unit claiming subsidies and incentives. Constitution of DLCT shall be as follows:

- Chief Development Officer (Chairperson)
- General Manager, DIC
- District Tourism Development Officer (Member Secretary)
- Any other officer nominated by Chairperson

अतः ऑपरेशनल गाईडलाइन्स–2023 (Operational Guidelines) के अधिसूचना संख्या–157508, दिनांक 27 सितम्बर, 2023 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष प्राविधान यथावत रहेंगी।

भवदीय,

Signed by Sachin Sharadchandra Kurve
Date: 05-12-2023 09:58:32
(सचिन कुर्वे)
सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, देहरादून।
6. आयुक्त गढ़वाल/कुमॉऊ, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक/इन्चार्ज, लिथोप्रेस रूढ़की को 150 प्रतियां प्रिटिंग हेतु प्रेषित।
8. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by Dr Pooja
Garbiyal
Date: 05-12-2023 10:23:09

(डॉ0 पूजा गर्ब्याल)
अपर सचिव।